<u>डिस्क्लेमर</u>

परामर्श पत्र संख्या 06/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमएबीपीएल/सी/बैंगलुरू/सीपी-III/2023-27

परामर्श पत्र संख्या 06/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीपीएल) के संबंध में कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलुरू में प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

जारी करने की तारीख : 28 जुलाई, 2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण ने कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू के संबंध में मेनजीस एविएशन (बैंगलुरू) प्राइवेट लिमिटेड (एमएबीपीएल) द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') में दिए गए विभिन्न अनुमानों पर विचार करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्ताव इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 28.07.2023 के परामर्श पत्र संख्या 06/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : trilok@aera.gov.in; satish.kr@aera.gov.in
प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**18/08/2023**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**28/08/2023**

टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 9 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

एमएबीपीएल के लिए कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, बैंगलुरू में कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार हितधारकों के परामर्श के प्रयोजन से नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.8.1**	एमएबीपीएल द्वारा केआईए, बैंगलुरू में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए **"लाइट टच अप्रोच"** के अंतर्गत टैरिफ निर्धारण का प्रस्ताव करता है।	**12**
अध्याय संख्या 3	**3.3.1**	एमएबीपीएल के संबंध में तालिका 4 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो मात्रा अनुमानों को मानने का प्रस्ताव करता है।	**16**
अध्याय संख्या 4	**4.7.1**	तालिका 21 के अनुसार आरएबी के परिवर्धनों, मूल्यह्रास, अंत आरएबी और औसत आरएबी को मानने का प्रस्ताव करता है।	**33**
अध्याय संख्या 5	**5.5.1**	तालिका 28 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित ओपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	**42**
अध्याय संख्या 6	**6.2.1**	एएफएस से संबंधित बीयूपी के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक -IV के अनुसार 30% न्यूनतर टीएसपी को मानने का प्रस्ताव करता है।	**45**
अध्याय संख्या 7	**7.4.1**	एमएबीपीएल के संबंध में तालिका 33 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एफआरओआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	**49**
	7.4.2	एमएबीपीएल के संबंध में तालिका 34 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानने का प्रस्ताव करता है।	
	7.4.3	एमएबीपीएल के संबंध में **संलग्नक -IV** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ को मानने का प्रस्ताव करता है।	
अध्याय संख्या 8	**8.3.1**	तालिका 39 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित कुल राजस्व (टैरिफ में प्रस्तावित वृद्धि के बाद) को मानने का प्रस्ताव करता है।	**53**

अध्याय 8 <u>हितधारक का परामर्श</u>

10.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 9 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक **(संलग्नक-I *से* IV)** लगाए गए हैं।

10.*2* संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

10.*3* प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 9 में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **18.08.2023** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)